पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जानें

जमानत

पुलिस सुधार : अति महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय

यह पुस्तिका **कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.)** द्वारा **गृह मंत्रालय** के लिए **पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जाने** नामक श्रृंखला के एक भाग के रूप में तैयार की गयी है।

सी.एच.आर.आई. एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र, गैर–लाभकारी, गैर–सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों को व्यवहारिक रूप से प्राप्त करने को बढ़ावा देना है। सी.एच.आर.आई. मानवाधिकार मुद्दों के बारे में शिक्षित करता है और मानवाधिकार मानदंडों के अधिक अनुपालन की वकालत करता है और अधिक जानकारी के लिए कृपया http://www.humanrightsinitiative.org को देखें।

अवधारणा	:	श्रीमति माजा दारूवाला
विषय वस्तु और अनुसंधान समन्वयक	:	डा. दोएल मुकर्जी
आलेख	:	सुश्री वसुधा रेड्डी
अनुसंधान दल	:	श्री अर्नव दयाल, श्री शुभो एस. चटर्जी
अनुवादक	:	श्रीमती शालिनी भूषण
आवरण अवधारणा और लेआउट / अभिकल्प	:	श्री रंजन कुमार सिंह और डॉ. दोएल मुकर्जी
रेखांकन	:	श्री सुरेश कुमार
सहायक कर्मचारी	:	सुभाष कुमार पात्र, पलानी अजय बाबू
मुद्रक	:	मैट्रिक्स, नई दिल्ली

एक दिन इंस्पेक्टर खान की जीप कमला नगर में घुसी और रामू काका के दुकान के पास रूकी। उन्होंने उसे बाहर बुलाया और उससे कहा कि वह अपनी दुकान में खाने के सामानों में मिलावट कर रहा है और इसलिए वे उसे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। रामू काका ने उनसे बहस की और इसका विरोध किया लेकिन आखिरकार हवलदार भान ने उन्हें जीप में डाला और थाने ले गया।

अधिक बल का प्रयोग

गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने रामू काका को दादाजी से मिलने की इजाजत दी। रामू काका रो पड़े और दादाजी से कहा, ''मैं जेल में नहीं रह सकता। जब तक मैं यहां रहूंगा तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? कृपया मेरी मदद करें।''

पुलिस हिरासत में व्यक्ति को अपने मित्रों और परिजनों को सूचित करने का अधिकार है

''ठीक है'' दादाजी ने कहा। ''क्या तुमने जमानत लेने के बारे में सोचा है?''

''मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। जमानत क्या होता है?'' रामू काका ने पूछा।

''जमानत का अर्थ किसी गिरफ्तार व्यक्ति को इस वायदे पर छोड़ना है कि जब कभी भी कहा जाए वह व्यक्ति अदालत या पुलिस के समक्ष उपस्थित होगा और कि वह उनके द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करेगा'' दादाजी ने बताया। ''इस वायदे के साथ आमतौर पर कुछ राशि जुड़ी होती है जिसका उस स्थिति में भुगतान करना होता है जब अभियुक्त वह नहीं करता जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है, जैसे कि वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं होता जबकि उसे उपस्थित होना चाहिए, आदि।''

जमानत की शर्तें

''मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे जमानत मिलेगा? क्या यह एक अधिकार है?'' रामू काका ने पूछा।

''किसी भी व्यक्ति को जमानत पर छूटने का अधिकार है जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह अपराध जिसके लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, दंड प्रक्रिया संहिता में जमानतीय या अजमानतीय अपराध के रूप में सूचीबद्ध है'' दादाजी ने उत्तर दिया।

''जमानतीय अपराध क्या है?'' रामू काका ने पूछा।

''अपराध, जो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, जमानतीय अपराध होते हैं। **जमानतीय अपराध में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद जमानत पर छूटने का अधिकार है।** मान लो रामू तुम्हें किसी के साथ झगड़ा करने पर गिरफ्तार किया है, तो यह एक जमानतीय अपराध है और इसलिए तुम्हें जमानत पाने का अधिकार है। पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को बताए कि अपराध जमानतीय है या अजमानतीय? क्या पुलिस ने तुम्हें यह नहीं बताया।'' दादाजी ने कहा।

''नहीं! उन्होनें सिर्फ इतना ही बताया कि मैं क्यों गिरफ्तार किया गया हूं। क्या उन्हें मुझे जमानत के बारे में भी बताना था?'' रामू काका ने पूछा।

''हां! उन्हें तुम्हें इस बारे में बताना था। यह पुलिस का कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छूटने के उसके अधिकार के बारे में बताए।'' दादाजी ने उत्तर दिया।

''जमानत कैसे दिए जाते हैं?'' रामू काका ने पूछा।

''जमानत नामा तैयार किए जाने के बाद जमानत पुलिस अथवा अदालत द्वारा दी जाती है। इकरारनामा एक वचन होता है जिसे कानूनी समर्थन मिला होता है। जमानत नामा मुचलका हो सकता है या प्रतिभूति बंध पत्र हो सकता है।''
दादाजी ने स्पष्ट किया।

''ये सभी काफी जटिल है अब बताएं यह प्रतिभूति बंध पत्र क्या होता है?'' रामू काका ने पूछा।

''प्रतिभूति बंध पत्र एक ऐसा बंध पत्र है जिसमें गिरफ्तार या रोके गए व्यक्ति से उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति को 'जमानतदार' के रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है जो आमतौर पर समाज का जिम्मेदार व्यक्ति समझा जाता है'', दादाजी ने आगे कहा। ''जमानतदार के रूप में आया व्यक्ति यह वचन देता है कि गिरफ्तार या रोका गया व्यक्ति जमानत की शर्तों का अनुपालन करेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो जमानतदार के रूप में आने वाले व्यक्ति को कुछ निश्चित राशि का भुगतान करना होगा। तुम्हारे मामले में तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जमानतदार बन सकता है।'' दादाजी ने कहा।

बंधपत्र

''लेकिन प्रतिभूति बंध पत्र के लिए कुछ शर्तें होंगी? वे शर्त क्या हैं?'' रामू काका ने पूछा।

''तुम्हारा जमानतदार बनने के लिए व्यक्ति को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं।'' दादाजी ने कहा। ''प्रतिभूति बंध पत्र के साथ एक सरकारी दस्तावेज या एक हलफ़नामा देना होता है। हलफ़नामा में जमानतदार को यह तथ्य प्रस्तुत करना चाहिए कि अभियुक्त के साथ उसके ऐसे संबंध है कि जमानतदार का अपराध में शामिल व्यक्ति के ऊपर प्रभाव है। दस्तावेज में जमानतदार का निम्नलिखित ब्यौरा शामिल होता है:

- **वर्तमान और स्थायी पता**
- **पहचान का सबूत** – इसके लिए पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतदाता पत्र या कार्यालय पहचान पत्र की प्रति संलग्न की जाती है
- **आर्थिक स्थिति का सबूत** – इसके लिए आय का विवरण, नियोक्ता से वेतन प्रमाण पत्र, सावधि जमा रसीद, चल अथवा अचल सम्पत्ति का अधिकार पत्र अथवा बैंक खाता के विवरण की प्रति या ऐसे कोई अन्य कागजात संलग्न किए जा सकते हैं।''

''लेकिन एक समस्या है, मेरा भाई उड़ीसा में रहता है। यदि जमानतदार यहां से काफी दूर रहता हो तो वे उसे अस्वीकार नहीं कर देंगे।'' रामू काका ने पूछा।

''ठीक है, एक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि **किसी जमानतदार को इस बात से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वह अलग जिला या राज्य का है।''** दादाजी ने कहा।

''आप जानते हैं मैं क्या सोच रहा था'', रामू ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। ''मैं अपने भाई को इस तरह की बातों में शामिल नहीं करना चाहूंगा। वह किसी भी तरह पुलिस के मामले में शामिल होना नहीं चाहता और मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता जो मेरा जमानतदार बनेगा।''

''यदि तुम्हें कोई जमानतदार न मिले तो तुम्हें पुलिस या अदालत को मुचलके पर छोड़ने के लिए कहना चाहिए'', दादाजी ने बताया। ''मुचलका गिरफ्तार अथवा रोके गए व्यक्ति द्वारा दिया गया एक वचन है कि जब कभी आवश्यक होगा वे अदालत या पुलिस के समक्ष उपस्थित होंगे और मुचलके में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करेंगे'', उन्होंने कहा।

''लेकिन क्या पुलिस मुझे मुचलका लेने देगी?'' रामू काका ने पूछा।

''यदि तुम्हें जमानतदार न मिले और तुम मुचलका लेना चाहो तो **तुम्हें पुलिस को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि समाज में तुम्हारा स्थान है कि तुम भाग नहीं जाओगे और कि तुम जमानत की शर्तों का अनुपालन करोगे।**'' दादाजी ने आगे कहा ''उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि **यह निर्णय लेते हुए कि तुम्हे मुचलके पर छोड़ा जाए या नहीं पुलिस को इन बातों पर अवश्य विचार करना चाहिएः–**

- **इस समाज में आप कितने दिन रहे चुके हैं**
- **वर्तमान नौकरी और पिछली नौकरियां**
- **आपके पारिवारिक संबंध और रिश्तेदारी**
- **आपकी आम प्रतिष्ठा और चरित्र**
- **जमानत पर जारी किए जाने सहित आपका पिछला आपराधिक रिकार्ड**
- **क्या समाज का कोई जिम्मेदार व्यक्ति आपकी विश्वसनीयता का आश्वासन दे सकता है**
- **आप पर किस प्रकार के अपराध का आरोप लगा है**
- **इस बात की क्या संभावना है कि आप सजा पायेंगे**
- **यदि आपकी दोषसिद्धी हो तो आपकी सजा क्या होगी''**

''हूं, मेरा एक और प्रश्न है और यह मुझे काफी परेशान कर रहा है, दादाजी। आपने कहा कि कुछ शर्तें हैं जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए? मान लो कि मैं किसी विशेष शर्त को पूरा नहीं कर पाता तो मेरे साथ क्या होगा?'' दादाजी ने अपनी

दाढ़ी खुजाई और कहा, ''बेटा चिंता की बात नहीं है, ऐसी स्थिति में तुम्हे जमानत की राशि प्रस्तुत करनी होगी।'' रामू काका घबरा गए। ''यदि जमानत की राशि काफी अधिक हो तो क्या होगा?'' रामू काका ने जरूरत पड़ने पर पैसा इक्ट्ठा करने के तरीके के बारे में सोचते हुए पूछा।

''रामू, मैं नहीं समझता कि तुम्हारे लिए यह अधिक चिंता का विषय होगा।'' दादाजी ने बताया, **''कानून कहता है कि जमानत की राशि काफी अधिक नहीं हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जमानत की राशि न सिर्फ उस अपराध पर आधारित होनी चाहिए जिसका कि वह व्यक्ति अभियुक्त है बल्कि इसे अभियुक्त की वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए।''**

''परन्तु क्या होगा यदि पुलिस इन निदेशों पर अमल नहीं करती है ओर मेरी जमानत की राशि काफी अधिक निर्धारित करती है? तब मुझे क्या करना चाहिए?'' रामू काका ने पूछा जो अभी भी थोड़ा चिंतित दिखे।

''ऐसी परिस्थिति में जहां जमानत की राशि अभियुक्त के लिए काफी अधिक हो, अभियुक्त उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में जमानत की राशि कम करने के लिए जा सकता है'', अब क्या तुम और प्रश्न पूछना चाहते हो? दादाजी ने पूछा।

''क्या जमानत पर छोड़े जाने के लिए पुलिस या अदालत के पास पैसे जमा करने होते हैं?'' रामू काका ने पूछा।

''नहीं, **जमानत देते समय कोई भी राशि जमा नहीं करनी होती है। हालांकि**

पुलिस या अदालत जमानत की राशि के बराबर की राशि दर्शाने के लिए बैंक खाता विवरण, वेतन पर्ची या सावधी जमा रसीद या जमानत की राशि के बराबर की राशि की सम्पत्ति के अधिकार पत्र की प्रति दिखाने के रूप में इस बात का प्रमाण मांग सकती है कि जमानत का भुगतान किया जा सकता है।'' दादाजी ने बताया।

''मुझे इन बातों को समझाने के लिए आपका शुक्रिया।'' रामू काका ने थोड़ा शांत दिखते हुए कहा।

''यह ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि तुमने उन घटनाओं के सभी कानूनी पहलूओं के बारे में जानो जो तुम्हारे साथ घट रही हैं।'' रामू काका ने सिर हिलाया और दादाजी ने आगे कहा, ''मैं कुछ घंटों में वापस आऊंगा ताकि हम यह चर्चा कर सकें कि आगे क्या किया जाए।''

जब दादाजी अपने घर वापस आए तो उन्होंने वहां विनीत को इंतजार करते हुए पाया। विनीत ने दादाजी से मिलने के लिए उस दिन अपना पी.सी.ओ. बूथ बंद कर दिया था।

''दादाजी आप जानते होंगे कि मेरे भाई कृष्णा को शर्मा जी की दुकान को जला डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे डर है कि पुलिस अब मुझे भी गिरफ्तार करेगी क्योंकि मैं अंतिम व्यक्ति हूं जिसने आग लगने के पहले कृष्णा को देखा था। मुझे क्या करना चाहिए?'' विनीत ने पूछा।

''क्या तुमने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन देने के बारे में सोचा है, विनीत?'' दादाजी ने

पूछा। ''अग्रिम जमानत क्या होता है?'' विनीत ने पूछा।

''यदि किसी व्यक्ति को यह भय है कि पुलिस उसे किसी अजमानतीय अपराध के कारण गिरफ्तार कर सकती है तो वह व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है'', दादाजी ने बताया। उन्होंने आगे कहा, **''हालांकि तुम्हारे पास यह विश्वास करने के समुचित कारण होने चाहिए कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।''**

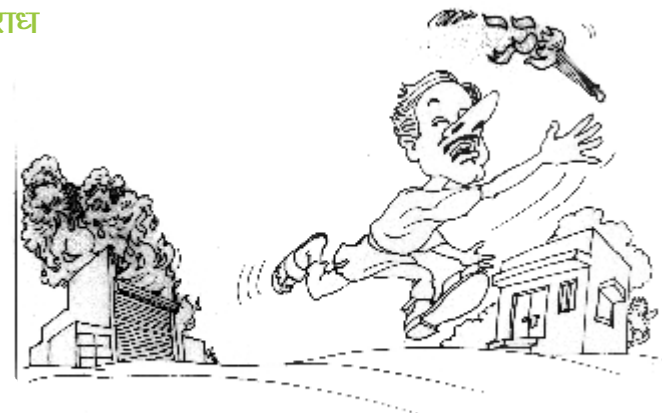

संज्ञेय अपराध करने के बाद कृष्णा भाग रहा है

''मैं अग्रिम जमानत के लिए कब आवेदन दे सकता हूं?'' विनीत ने कहा।

''तुम अग्रिम जमानत के लिए अपनी गिरफ्तारी से पहले कभी भी आवेदन दे सकते हो। यदि मैजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी भी कर दिया हो पर तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं हुई हो, तो तुम इसके लिए आवेदन दे सकते हो।'' दादाजी ने बताया।

''क्या मुझे अग्रिम जमानत के लिए आवेदन देने अदालत जाना होगा?'' विनीत ने पूछा।

''नहीं, तुम्हे अग्रिम जमानत लेने के लिए व्यक्तिगत तौर पर अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। अग्रिम जमानत या तो उस जगह ली जा सकती है जहां अपराध का मामला दर्ज किया गया है या उस स्थान पर जहां वह व्यक्ति सोचता है कि गिरफ्तारी हो सकती है।'' दादाजी ने आगे बताया, ''दूसरी यह बात तुम्हे याद रखनी चाहिए कि सिर्फ सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय ही अग्रिम जमानत दे सकता है।''

''ठीक है, जमानत मिल जाने के बाद क्या होता है? दादाजी क्या ऐसा कोई तरीका है कि न्यायालय इसे रद्द कर दे?'' विनीत ने पूछा।

''हां, जमानत रद्द हो सकता है यदि वह व्यक्ति जिसे जमानत पर छोड़ा गया होः—

- फिर वहीं अपराध करता है या करने का प्रयास करता है जिसका वह अभियुक्त है
- गवाहों को प्रभावित करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, उदाहरण के लिए उन्हें रिश्वत देना
- सबूतों में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, उदाहरण के लिए अपने कपड़ो से खून के धब्बे मिटाकर
- पुलिस तथा उस व्यक्ति, जिसने शिकायत दर्ज की है या किसी और व्यक्ति के खिलाफ वह व्यक्ति हिंसात्मक कार्य करता है या उन्हें धमकी देता है
- छुपा जाता है या भाग जाता है
- जांच में समस्या खड़ी करता है
- आवश्यकता के समय अदालत में उपस्थित नहीं होता है

- जमानत की किसी भी शर्तों का उल्लंघन करता है'', **दादाजी ने कहा।**

''क्या होगा यदि कोई व्यक्ति अपने किसी कारणवश अदालत में बोलने से इनकार कर देता है? क्या इस आधार पर मेरी जमानत रद्द हो जाएगी क्योंकि अभियोजन यह समझता है कि मैंने उन व्यक्तियों को धमकी दी है? क्या इस मामले में ऐसी कोई शर्त है जिससे मेरी जमानत रद्द की जा सकती है?'' विनीत ने पूछा।

''जमानत सिर्फ इस बात पर रद्द नहीं की जा सकती है कि गवाह ने बोलने से इनकार कर दिया है। यह सिद्ध करना होगा कि अभियुक्त ने किसी प्रकार गवाहों को धमकी दी, रिश्वत दी या प्रभावित किया और तभी जमानत रद्द की जा सकती है'', दादाजी ने कहा। उन्होंने आगे कहा, **''साथ ही जमानत इस अस्पष्ट बयान के कारण भी रद्द नहीं की जा सकती है कि अभियुक्त ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है या कि पुलिस ने जमानत पर छोड़े जाने के बाद अदालत में चलान/आरोप पत्र दर्ज किया है या कि पुलिस को सबूत और सामान इक्ट्ठा करने के लिए अभियुक्त की आवश्यकता है।''**

''इन सभी बातों को समझने में मुझे मदद करने के लिए आपका शुक्रिया, दादाजी।'' विनीत ने कहा। ''तुम्हारा स्वागत है विनीत'', दादाजी ने कहा। ''यदि तुम अपनी जमानत के बारे में और मदद चाहते हो, तो तुम मेरे पास आ सकते हो और मुझसे मदद ले सकते हो।''

''मैं ऐसा ही करूंगा'', विनीत ने कहा और वह कमरे से बाहर चला गया।

बाद में, दादाजी विनीत के भाई कृष्णा से मिलने जेल गए। ''कृष्णा, तुम्हें आगजनी के आरोप पर गिरफ्तार किया गया है जो कि एक अजमानतीय अपराध है'', दादाजी ने कहा। ''अजमानतीय अपराध क्या होता है? क्या इसका अर्थ यह होता है कि मैं जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकता?'' कृष्णा ने पूछा।

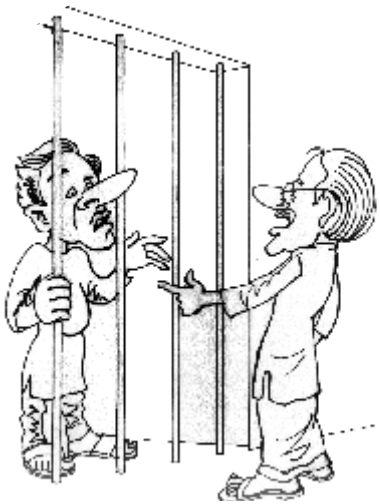

अजमानतीय अपराध क्या होता है?

''अजमानतीय अपराध अधिक गंभीर अपराध होते हैं जो दंड प्रक्रिया संहिता में सूचीबद्ध होते हैं। 'अजमानतीय' का अर्थ यह नहीं है कि अभियुक्त जमानत पर छोड़ा नहीं जा सकता है। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि तुम्हें जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार नहीं है।'' दादाजी ने बताया।

''तब जमानत कैसे दी जाती है?'' कृष्णा ने पूछा।

''जमानत देना थाना के प्रभारी अधिकारी या अदालत पर निर्भर करता है। हालांकि पुलिस का जमानत देने का अधिकार उसी समय समाप्त हो जाता है जब अभियुक्त अदालत में पेश किया जाता है।'' **दादाजी ने बताया।**

(')आमतौर पर मैजिस्ट्रेट अजमानतीय अपराध में जमानत दे सकता है। लेकिन कतिपय मामलों में जमानत सिर्फ सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती है। ये मामले इस प्रकार हैं:–

1. यदि यह विश्वास करने के समुचित आधार हैं कि वह व्यक्ति एक ऐसे अपराध का दोषी है जो मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास द्वारा दंडनीय है।
2. यदि अपराध एक संज्ञेय अपराध है जैसे कि हत्या या चोरी और व्यक्ति की पहले एक ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्धी हो चुकी है जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या सात वर्ष या अधिक के कारावास की सजा दी गयी है अथवा पहले भी उसकी अजमानतीय और संज्ञेय अपराधों जैसे कि हत्या या बलात्कार के लिए दो या अधिक बार दोष सिद्धी हो चुकी है।

हालांकि उपरोक्त श्रेणियों में शामिल व्यक्ति मैजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़ा जा सकता हैं यदि वह सोलह वर्ष से कम आयु का है या वह महिला है या वह बीमार/अशक्त है या श्रेणी 2 के मामले में मैजिस्ट्रेट यह महसूस करता है कि कतिपय कारणों से जमानत देना उचित होगा।''

''दादाजी, पुलिस या अदालत कैसे यह निर्णय लेंगे कि मुझे जमानत दिया जाए या नहीं?'' कृष्णा ने पूछा।

''यदि तुम किसी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त हो, तो इस संबंध में निर्णय लेते हुए कि तुम्हें जमानत पर छोड़ा जाए या नहीं पुलिस या अदालत इस बात पर विचार करती है कि:

- क्या तुम जमानत मिलने पर भाग जाओगे
- या कि तुम जमानत पर छोड़े जाने पर सबूतों को नष्ट कर दोगे
- या कि संभावना है कि जमानत पर छोड़े जाने पर तुम और अपराध करोगे
- और कि अपराध कितना गंभीर था और इसके लिए अधिकतम सजा क्या है
- अपराध की प्रकृति
- किन परिस्थितियों में अपराध किया गया
- तुम्हारे खिलाफ सबूत की प्रकृति
- तुम्हारा स्वास्थ्य, आयु, पुरुष/महिला होने और महिला के मामले में क्या वह गर्भवती है और
- तुम्हारी सामाजिक हैसियत और पिछला रिकार्ड'', **दादाजी ने बताया।**

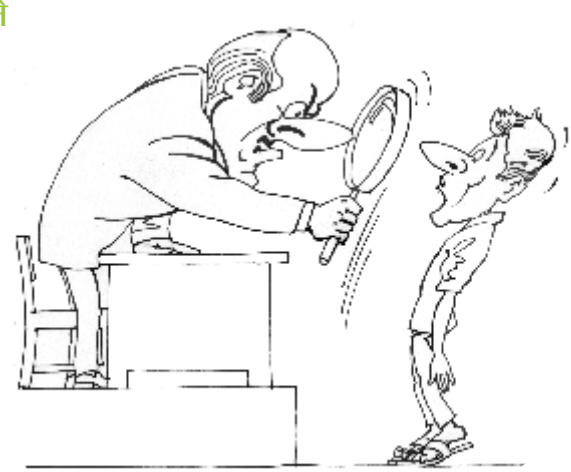

यह निर्णय लेते हुए कि जमानत दी जाए या नहीं

''ठीक है! दादाजी आपने जमानत की शर्तों के बारे में कुछ बताया.....इनमें कौन–कौन सी बातें शामिल होती हैं?'' कृष्णा ने पूछा।

''जमानत पर छोड़े जाने वाले व्यक्ति से इनमें से किसी भी शर्त का अनुपालन करने के लिए कहा जा सकता है:

- निर्धारित समय पर थाने में रिपोर्ट करना
- पूछताछ के लिए पुलिस के समक्ष उपस्थित होना
- निर्धारित तारीख को अदालत के समक्ष उपस्थित होना
- अनुमति के बगैर किसी विशेष स्थान या देश को न छोड़ना
- उस विशेष स्थान या घर जहां अपराध किया गया हो या जहां पीड़ित/गवाह रहते हो में प्रवेश नहीं करना
- सबूतों को न मिटाना या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास न करना
- कोई भी अपराध न करना और
- अपने पते में किसी भी बदलाव की पुलिस तथा अदालत को सूचना देना'', दादाजी ने बताया।

''परन्तु दादाजी यदि पुलिस मुझे अपने ही मुहल्ले से निकलने की अनुमति नहीं देती है तो क्या होगा? मैं खेत में कैसे जा सकूंगा जहां मैं काम करता हूं।'' कृष्णा ने कहा।

चिंता की कोई बात नहीं है, ''जमानत की शर्तें इतनी कठोर या अनुचित नहीं होती है। इन शर्तों में निम्नलिखित बातें शामिल नहीं है:

- जमानत की राशि काफी अधिक होना या
- निर्देश कि अभियुक्त अपराध को स्वीकार करे या स्वयं के खिलाफ गवाह

दे

- **अभियुक्त के आवाजाही पर अनुचित प्रतिबंध जैसे कि अभियुक्त को अपने दैनिक कार्य पर जाने की अनुमति नहीं देना'',** दादाजी ने बताया।

''अब मैं समझ गया, दादाजी। इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।''

''यह ठीक है'', दादाजी ने कहा। ''अब तुम मुझे यह क्यों नहीं बताते कि क्या घटना हुई थी और तुम यहां कैसे आए?'' इसके साथ ही कृष्णा ने शर्मा की दुकान में आग के बारे में दादाजी को बताना शुरू किया।

कमला नगर में एक दिन शाम के समय में नीता सब्जियां खरीद रही थी कि उसने इमरान के भाई अब्दुल को निकट के जूस के दुकान में देखा। उसने उसके पास जाकर इमरान के बारे में पूछने का निर्णय लिया जिसे चोरी में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। ''हैलो अब्दुल तुम कैसे हो?'' नीता ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब्दुल बहुत खुश नहीं था और उसने सिर झुका कर कहा, ''नीता दीदी, आप जानती है कि जब से इमरान गिरफ्तार हुआ है घर में सब कुछ सही नहीं है। हम सभी जांच के परिणामों का चिंता से इंतजार कर रहे हैं।''

''जांच के परिणाम?'' स्तब्ध नीता ने इस बात को दोहराया। ''तुम्हारा मतलब है कि यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है?'' उसने पूछा। ''नहीं, यह अभी पूरा नहीं हुआ है और जब भी हम थाना जाते हैं और इस बारे में पुलिस से पूछते हैं तो वे बताते हैं कि यह कभी भी पूरा हो सकता है। पता नहीं इमरान कैसे रह रहा होगा। उसकी जमानत की अर्जी भी ठुकरा दी गयी। वह वहां सात महीने से है।'' रूआंसे अब्दुल ने कहा।

''परन्तु वे ऐसा नहीं कर सकते, यह गैर–कानूनी है। क्या तुम्हें नहीं मालूम? **यदि पुलिस ऐसे अपराधों, जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या न्यूनतम दस वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है, की जांच कार्य 90 दिनों के अंदर पूरा नहीं करती है तो उसे गिरफ्तार व्यक्ति को अवश्य जमानत पर छोड़ना चाहिए।** और इमरान पर सिर्फ चोरी का आरोप है। **यदि पुलिस अन्य अपराध के मामलों में जांच कार्य 60 दिनों के अंदर पूरा नहीं करती है तो उसे गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर अवश्य छोड़ना चाहिए।''** उसने कहा ''उसे हिरासत में रहे 60 दिनों से अधिक हो गया है। हमें सीधे अदालत जाना चाहिए।'' क्रुद्ध नीता ने कहा।

याद रखने योग्य कुछ और बातें:

- यदि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास वाले अपराध के मामले में पुलिस 90 दिनों के अंदर जांच कार्य पूरा नहीं करती है तो गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर अवश्य छोड़ा जाना चाहिए।
- अन्य प्रकार के अपराधों में यदि पुलिस 60 दिनों के अन्दर जांच कार्य पूरा नहीं करती है तो गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर अवश्य छोड़ा जाना चाहिए।
- यदि उपरोक्त शर्तें पूरी होती है और गिरफ्तार व्यक्ति जमानत की मांग करता है तो उसे अवश्य छोड़ा जाना चाहिए।

इस **पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जाने** श्रृंखला में निम्नलिखित पुस्तिका शामिल है :

- प्रथम सूचना
- गिरफ्तारी और रोक
- पुलिस पूछताछ
- विधिक सहायता सेवा
- अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार अधिनियम
- जमानत
- मौलिक अधिकार

गृह मंत्रालय
मानवाधिकार विभाग
भारत सरकार